



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एन०यू०एल०एम०)  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226027

e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 770/241/एनयूएलएम/तीन/(EST&P) 2018-19 (Trg.)Vol-II



दिनांक 29/04/19

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना निदेशक,  
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:** DAY-NULM के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत प्रधानमंत्री के 15 बिन्दु कार्यक्रम के आलोक में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित कम से कम 15% लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में।

महोदया/महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) एवं कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों हेतु प्रधानमंत्री के 15 बिन्दु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु न्यूनतम 15% लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उसे ससमय पूर्ण कराये जाने एवं एन०यू०एल०एम०-एम०आई०एस० पर अपडेट कराये जाने का प्राविधान है।

निदेशक, एन०यू०एल०एम०, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटक वार लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति निर्धारित लक्ष्य से कम एन०यू०एल०एम०-एम०आई०एस० पर प्रदर्शित हो रही है। निदेशक, एन०यू०एल०एम०, भारत सरकार द्वारा कम से कम 15% लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने एवं उसे एन०यू०एल०एम०-एम०आई०एस० पर अपडेट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित वार्षिक लक्ष्य के उपरोक्त घटकों में कम से कम 15% लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित कराते हुए पूर्ति कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही प्राप्त किये गये लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में एन०यू०एल०एम०-एम०आई०एस० पर अपडेट करने के निर्देश संबंधित को देने का कष्ट करें, जिससे की प्रगति परिलक्षित हो सके एवं भारत सरकार को तदनुसार अवगत कराया जा सके।

भुवदीय  
29.04.2019  
(डा० वी० के० सिंह)  
अपर निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, सूडा को इस निर्देश से प्रेषित की उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को इस निर्देश से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुश्रवण सुनिश्चित करायें।
5. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० वी० के० सिंह)  
अपर निदेशक